न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14/2025	2025/73	28.01.2025	29.08.2025

शीर्षक

रतिराम पुत्र भौरा उम्र 67 वर्ष, जाति खटीक, निवासी राजनीता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड. राजस्थान। वादी

बनाम

1 उदयसिंह पुत्र गुलाब सिंह
2. शैलेन्द्र सिंह उर्फ बिल्लु पुत्र उदयसिंह
3. सन्दीप सिंह पुत्र उदयसिंह
4. कुलदीप सिंह पुत्र उदयसिंह
समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी ढाणी सालिम सिंह की ग्राम राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज।
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1 प्रदीप पुत्र मातादीन
2 पिस्ता पुत्री भौरा
3 अशोक पुत्र बहादुर
4 श्यामसुन्दर पुत्र बहादुर
5 कैलाश पुत्र बहादुर
6 राजकुमार पुत्र बहादुर
7 राजेश पुत्र बहादुर
8 पताशी देवी पत्नी बहादुर
9 ममता पुत्री मातादीन
10. माया पुत्री भौरा
11 माया पत्नी मातादीन
12 मोतीलाल पुत्र भौरा
13 रमेश पुत्र मातादीन
14 सुनिता पुत्री मातादीन
15 सोहन लाल पुत्र भौरा
समस्त जाति खटीक समस्त निवासी ग्राम राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 29.08.2025

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीर सैनी के द्वारा पेश वाद पत्र निम्न भाति है कि आराजी हाल खसरा नं. कि स्थित ग्राम बिन्दाजी तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 780/0.23. 787/0.26 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण जिन्हे आगे वाद पत्र में वादी कहा गया है कि खातेदारी एवं कब्जेकास्त की भूमि है अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हित नहीं है और ना ही प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 का हित है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 वादी की भूमि के पडौसी व्यक्ति है जो आदतन अतिक्रमी व्यक्ति है जो ग्राम में कही भी चारागाह, सिवायचक या किसी की खातेदारी भूमि पर मौका मिलते ही अतिक्रमण कब्जा कर लेते है और अब प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि 780/0.23. 787/0.26 को हडप करने की कोशिश कर रहे है रात दिन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण जाति खटीक एससी समुदाय से है तथा प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 04 जाति से राजपूत है जिनका ग्राम राजनौता व आसपास का ढाणियों में काफी वजूद व खौफ है जो गरीब व्यक्तियों के खिलाफ कुछ भी हरकते कर सकते है जब वादी उनका विरोध करता है तो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 व उनके अन्य सहयोगी अनेको व्यक्ति आकर मारपीट करने पर उतारू हो जाते है जिस कारण ग्रामीण उनका कोई विरोध नहीं कर पाता है। वादी ने प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 को उनकी खातेदारी भूमि से पेड वगैरहा काटने व कब्जा करने की कोशिश करने से मना किया परन्तु प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं है बल्कि दिनांक 20/01/2025 को मारपीट करने हेतू उतारू हो गये और साथ ही प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि यदि हमे इस भूमि पर पेड़ वगैरहा काटने से मना करोगे या मकान निर्माण नहीं करने दोगे तो हम जबरदस्ती कब्जा करेगे इस प्रकार अनेक प्रकार की धमकियां दी। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगे तथा रातो रात इस भूमि पर पक्का निर्माण करने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 ने वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर नाजायज रूप से ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जबकि कानूनन उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी आराजी हाल खसरा नम्बर 780/0.23. 787/0.26 के वैधानिक रूप से काबिज खातेदार है जिनको जरिये अदालती आदेश स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि उनकी भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश ना करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे शांतिपूर्ण तरीके से खेतीबाडी का कार्य करने दे पेड वगैरहा ना काटे और यदि तादोरानोवाद किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने में सफल हो जाते है तो उनको बेदखल कर वादीगण को सम्पूर्ण रकबा का कब्जा सुपुर्द किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है और अदालत श्रीमान से सविनय वादपत्र पेश है। विवादित भूमि अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः अदालत श्रीमान को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर. पेश है।

3. दावाकृतअनुतोष :– वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि स्थित ग्राम बिन्दाजी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 780/0.23, 787/0.26 पर किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश ना करे, किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य करने की कोशिश ना करे, पेड वगैरहा ना काटे वादीगण को शांतिपूर्ण तरीके से खेतीबाडी करने दे और यदि वादकालीन समय में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य कर लेते है तो उन्हे बेदखल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया जावे। अन्य दादरसी जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

4. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 14.04.2025 प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। तरतीबी प्रतिवादीगण की ओर से वादी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर वाद के समर्थन में अपनी सहमति जाहिर की। साक्ष्य वादी में साक्षी/वादी रतिराम व सोहनलाल के बयान शपथ पत्र पेश कर बयान/चीफ करवाई गई, शामिल मिसल किया गया। तथा वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 02 पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

5. साक्ष्य वादी पूर्ण होने के उपरान्त वकील वादी पत्रावली पर एकपक्षीय अन्तिम बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए वाद को वादी के हक में स्वीकार कर प्रतिवादीगण को सदा–सदा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने हेतू निवेदन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात आ.हाल ख.नं. 780/0.23. 787/0.26 है0 भूमि बन्दोबस्त हाल वाके मौजा बिन्दाजी प0ह0 राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान स्थित आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की स्वयं की कब्जे काश्त की रिकार्डेड दर्ज खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नही है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे। इस प्रकार वादी का वाद स्वीकार किया न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 780/0.23. 787/0.26 है0 भूमि बन्दोबस्त हाल वाके मौजा बिन्दाजी प0ह0 राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान स्थित आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा न करे, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का अतिक्रमण या कच्चा पक्का निर्माण कार्य न करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, RAS)

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14/2025	2025/73	28.01.2025	29.08.2025

शीर्षक

रतिराम पुत्र भौरा उम्र 67 वर्ष, जाति खटीक, निवासी राजनीता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड. राजस्थान। वादी

बनाम

1 उदयसिंह पुत्र गुलाब सिंह
2. शैलेन्द्र सिंह उर्फ बिल्लु पुत्र उदयसिंह
3. सन्दीप सिंह पुत्र उदयसिंह
4. कुलदीप सिंह पुत्र उदयसिंह
समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी ढाणी सालिम सिंह की ग्राम राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज।
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1 प्रदीप पुत्र मातादीन
2 पिस्ता पुत्री भौरा
3 अशोक पुत्र बहादुर
4 श्यामसुन्दर पुत्र बहादुर
5 कैलाश पुत्र बहादुर
6 राजकुमार पुत्र बहादुर
7 राजेश पुत्र बहादुर
8 पताशी देवी पत्नी बहादुर
9 ममता पुत्री मातादीन
10. माया पुत्री भौरा
11 माया पत्नी मातादीन
12 मोतीलाल पुत्र भौरा
13 रमेश पुत्र मातादीन
14 सुनिता पुत्री मातादीन
15 सोहन लाल पुत्र भौरा
समस्त जाति खटीक समस्त निवासी ग्राम राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 780/0.23. 787/0.26 है0 भूमि बन्दोबस्त हाल वाके मौजा बिन्दाजी प0ह0 राजनौता तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान स्थित आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा न करे, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का अतिक्रमण या कच्चा पक्का निर्माण कार्य न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

आज दिनांक 29.08.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई है।

(कपिल कुमार, **RAS**)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	